Seventeenth Loksabha

an>

Title: Introduction of the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019 (Bill Introduced).

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

डॉक्टर साहब, क्या आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं?

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): सर, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं ।

On this issue, my Party had also opposed the Bill when it was brought in the last Lok Sabha. The problem is that there are two substantive grounds for not introducing the Bill without change. The first is that the Bill removes the President of the Indian National Congress from the Jallianwala Bagh National Memorial Trust. So, this makes it an arbitrary action because the very reason why this Bill was moved in the august House by Dr. Ambedkar in 1951 was to make the Congress President an *ex officio* trustee because of the intimate connection between the history of the Congress and the history of the Trust. Without the Congress Party, there would be no Jallianwala Bagh

Memorial. The British would try and convert it into a bazar. We are the ones who raised the money, built the memorial and the fact is, therefore, that it is a denial of the heritage of the country of the Freedom Struggle and therefore, it must be stopped.

Secondly, there is also a technical objection to the Bill in its present form which is that it empowers the Central Government to remove nominated trustees before the completion of their terms without assigning any reason. This is another arbitrary act. This power can easily be used to remove trustees who do not agree with the Government's views or the ruling party's views. The Government should not fear accountability. This is a national heritage. We have no objection if their nominees are there; they should not object if the President of the Congress Party is there. The point is that this is the national Freedom Struggle that we are commemorating in this historic site. Please, in this centenary year, do not betray our history and our heritage.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप अपने दल के नए सदस्य को बताएं कि जब नया विधेयक पेश हो रहा हो और अगर उनको कुछ कहना है तो नोटिस दिया करें, हाथ खड़ा नहीं करें ।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने भी कहा है कि 28 दिसम्बर, 2018 को यह विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत हुआ था और 23 फरवरी, 2019 को विचार के बाद इस सदन ने इसे पारित किया था । राज्य सभा में चूंकि समय कम था और वहां यह विधेयक पारित नहीं हो सका, इसलिए आज इसे फिर यहां लेकर आए हैं । माननीय सदस्य ने जो बात कही है, जब चर्चा होगी, मैं उसका जवाब भी दे सकता हूं । हम जब यह दावा करते हैं तो आप जो गंभीरता

की बात करते हैं कि आपका स्मारक है, यह सबको पता है, इस देश को पता है, क्योंकि इस एक्ट के तहत जवाहर लाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू,मौलाना अब्दुल कलाम जैसे महान लोग नामजर रहे हैं, लेकिन आप जरा उसे एक बार पलट कर देखिए । आज का दिन बहस का नहीं है, आज तो इंट्रोडक्शन का दिन है, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद, आपने उनके नहीं रहने के बाद चालीस-पचास सालों तक उनके नाम की जगह किसी दूसरे को नहीं रख सके तो मुझे लगता है कि फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए । यह सब कुछ रिकॉर्ड में है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम इसे बहस के लिए लेकर आएं, उसके बाद आप जो कहेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।